



पत्रांक:- बि०प्र०सु०मि०सो०/विविध-36/2011 सो०..... दिनांक:-.....

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया।

विषय:- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 27.11.13 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मासिक समीक्षात्मक बैठक में लोक सेवाओं का अधिकार अन्तर्गत दण्डित किये गये लोक सेवकों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 16.08.11 से 15.11.2013 की अवधि में खगड़िया जिले में एक भी लोक सेवक को दण्डित नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि दण्डात्मक कार्रवाई के पश्चात लगायी गयी पेनाल्टी राशि की वसूली भी की जाए। वरीय उपसमाहर्ता को मेन्टर नियुक्त किया जाए एवं साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें प्रमुख रूप से आर. टी.पी.एस. काउन्टर में लंबित मामलों तथा अंचलों में अस्वीकृत आवेदनों की कारणों की भी समीक्षा की जाए।

अनुरोध है कि उक्त के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० बी० राजेन्द्र)

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक:- बि०प्र०सु०मि०सो०/विविध-36/2011 सो०...1387... दिनांक:-...10.12.2013

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M. Rajendra
10.12.2013

अपर मिशन निदेशक